

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्या:-29/2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़

---स्टेट

बनाम

सहदेव पुत्र भीखाराम जाति भाट उम्र 40 साल निवासी-गली नं. 04, सुर्यनगर, हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना-हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।

---गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975



उपस्थित:-1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।

2. श्री राजेश कुमार गौड़ अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-28.10.2021

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल सहदेव पुत्र भीखाराम जाति भाट उम्र 40 साल निवासी-गली नं. 04, सुर्यनगर, हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना-हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो जवान उम्र का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो सट्टा की खाईवाली करने का आदि है। सार्वजनिक स्थानों पर सट्टा की खाईवाली कर लोगों को लालच देकर आम जनता को आर्थिक हानि पहुंचा रहा है जिससे समाज में लगातार विभिन्न प्रकार के अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। कस्बा हनुमानगढ़ टाउन के लोग इससे काफी भयभीत रहते हैं। गैरसायल को सट्टे की खाईवाली का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते हैं। गैरसायल की कस्बा हनुमानगढ़ टाउन में शोहरत खराब है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध निम्न प्रकरण दर्ज हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	33/08.1.18	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
2	139/22.2.18	13 आरपीजीओ	चालान	-
3	156/05.3.18	9/11 राज.धुम्र.प्रति.अधि.	चालान	-
4	163/07.3.18	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
5	197/23.3.18	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
6	776/07.12.16	9/11 राज.धुम्र.प्रति.अधि.	चालान	-

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावे।

गैरसायल सहदेव पुत्र भीखाराम जाति भाट उम्र 40 साल निवासी-गली नं. 04, सुर्यनगर, हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना-हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित होकर हल्फनामा पेश किया।

W


उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के वकील ने हल्फनामा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे राज. पब्लिक गैबलिंग ऑर्डिनेंस व राज. धुम्रपान प्रति. अधि. के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा सन 2016 व 2018 में दुर्भावना से प्रेरित होकर रजिशवश किये गये थे। इसके बाद प्रार्थी पर कोई मुकदमा नहीं है। किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। प्रार्थी वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन-यापन कर रहा है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश किया गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि प्रार्थी अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। प्रार्थी द्वारा वार्ड पार्षद, नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व हल्फनामा/शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे खिलाफ धारा 13 आर.पी.जी.ओ. व 9/11 धुम्र. अधि. के मुकदमे 2018 में हुये थे जो प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा मुझ पर जुर्मानाकारित कर निस्तारण हो चुके हैं। उक्त मुकदमों के बाद मुझ पर किसी प्रकार को कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी सन 2018 से मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है व शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है। अब प्रार्थी से किसी प्रकार की सामाजिक शांति भंग होने की आशंका नहीं है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा इसके लिये अपने आप को पाबंद करता है। अतः प्रार्थी की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) में वर्णित अपराध कारित किये हैं जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को 100-100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2016,2018 में दर्ज किये गये हैं इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि सहदेव पुत्र भीखाराम ने आज तक शांति बनाए रखी है। किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन-यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन को भेजी जावे।





(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला सी.ओ. जस्ट्रेट
हनुमानगढ़